

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या – 291/2008/जोधपुर

2.अपील संख्या – 1087/2008/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुपर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज,
जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपरिथितः

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री आर.आर.सिंघवी

अभिभाषक

निर्णय दिनांक : ११.०३.२०१४

विभाग की ओर से

व्यवहारी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा, उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 4 व 16/आरएसटी/जेयूडी/2006-07 व 2007-08 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.09.2007 एवं 26.12.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है इसलिए इनका निरस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फुट वियर का विक्रेता है। आलोच्य अवधि वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के कर निर्धारण हेतु जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत बहियात में आलोच्य अवधि में समस्त बिक्री जूतों की कर मुक्त दर्शाई गई। जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(30)एफडी/टैक्स-डीवी/2002-26 दिनांक 16.04.2002 के अनुसार जूतों की कर मुक्ति को दो श्रेणियों निर्धारित है यथा प्रथम रु. 75/- से कम कीमत के 1 से 5 नम्बर के बच्चों के जूते एवं द्वितीय रु. 75/- से कम कीमत के पूर्णतया प्लास्टिक के निर्मित जूते। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जांच करने पर पाया जूतों की बिक्री को मुक्त दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अलोच्य अवधि के कर निर्धारण दिनांक 20.3.2006 एवं 23.3.2007 को पारित किया कि जिन बिलों में जूतों के नम्बर (1 से 5) लगे हैं, उन बिलों की राशि को कर मुक्त स्वीकार करते हुए शेष राशियों पर 8 प्रतिशत की दर से कमशः कर रु. 77901/- व रु. 129567/- तथा सरचार्ज कमशः रु. 11685/- एवं रु. 4592/- आरोपित किया, तथा उक्त राशि राजकोष में समय पर जमा नहीं होने के कारण ब्याज कमश रु. 22,315/- व रु.

37,766/-आरोपित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों के प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61 के अन्तर्गत क्रमशः शास्ति रु. 500/- व रु.500/-आरोपित कर की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से आरोपित कर,सरचार्ज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2007 एवं 26.12.2007 को पारित करते हुए प्रकरणों में विस्तृत निष्कर्ष देते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,सरचार्ज एवं शास्तियों को अपास्त कर अपीलें स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों दिनांक 22.09.2007 एवं 26.12.2007 से असन्तुष्ट होकर राजस्व की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अविधक, विधि के प्रतिकूल एवं प्रकरणों के तथ्यों के विरुद्ध हैं। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी ठोस आधार के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं सरचार्ज तथा ब्याज को अपास्त किया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 29(6) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं, जो पूर्णतः न्याय संगत हैं। उनका कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(30)एफडी/टैक्स-डीवी/2002-26 दिनांक 16.04.2002 के अनुसार जूतों की कर मुक्ति को दो श्रेणियों निर्धारित है यथा प्रथम रु. 75/-से कम कीमत के 1 से 5 नम्बर के बच्चों के जूते एवं द्वितीय रु. 75/-से कम कीमत के पूर्णतया प्लास्टिक के निर्मित जूते। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जांच करने पर पाया कि जूतों की बिक्री को मुक्त दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अलोच्य अवधि के कर निर्धारण दिनांक 20.3.2006 एवं 23.3.2007 को पारित किया कि जिन बिलों में जूतों के नम्बर (1 से 5) लगे हैं, उन बिलों की राशि को कर मुक्त स्वीकार करते हुए शेष राशियों पर 8 प्रतिशत की दर से क्रमशः कर रु. 77901/- व रु. 129567/-तथा सरचार्ज क्रमशः रु. 11685/-एवं रु. 4592/-आरोपित किया, तथा उक्त राशि राजकोष में समय पर जमा नहीं होने के कारण ब्याज क्रमशः रु. 22,315/-व रु. 37,766/-आरोपित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों के प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61 के अन्तर्गत क्रमशः शास्ति रु. 500/- व रु.500/-आरोपित कर की गई, जो पूर्णतः विधिक है। उनका

कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी आरोपित कर, सरचार्ज, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्कूल शूज के निर्माण में प्लास्टिक के अतिरिक्त केनवास की खरीद करके उपयोग किया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि सभी बिकी बिलों में जूतों की साईज का हवाला नहीं दिया गया एवं प्लास्टिक के अतिरिक्त अन्य कच्चा माल खरीद होने से विक्रय किये गये जूते पूर्णतया प्लास्टिक से निर्मित नहीं हैं। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कतिपय बिलों की फोटो प्रतियों में दर्ज बिकी को ही कर मुक्त मानते हुए शेष समस्त बिकी पर करारोपण किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि स्कूल शूज के समस्त बिलों में 5 नम्बर तक की साईज होने का पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष खुलासा किया गया है तथा पूर्णतया प्लास्टिक के निर्मित जूतों हेतु उपरोक्त अधिसूचना में साईज बाबत् कोई शर्त नहीं होने से यदि बिकी बिलों में साईज नहीं दर्शायी गयी, तब भी कर मुक्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, सरचार्ज, शास्ति एवं ब्याज अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।


दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के साथ ही कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों के अनुसार जिन बिलों पर शूज की साईज अंकित है उन बिलों की राशियों का कर मुक्त मानते हुए शेष बिकी राशि पर 8 प्रतिशत की दर से कर, सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित किया है, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि वक्त जांच प्रत्यर्थी व्यवहारी से जूतों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के खरीद बिलों को पेश करने की अपेक्षा की गयी थी परन्तु उसके द्वारा निर्मित विक्रय किये गये जूते पूर्ण रूप से प्लास्टिक बने हुए इसलिए उन्होंने कर, सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित किया है तथा बिकी विवरण पेश नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियां आरोपित की हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि अधिसूचना में सम्पूर्ण प्लास्टिक के बने जूतों में साईज की शर्त नहीं होने से केवल कीमत

अंकित है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्व वर्ष के आदेश के आधार पर एवं मात्र नमूने के कुछ बिलों की फोटो प्रतियाँ रेकार्ड पर लेते हुए तथा खरीद बिलों की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर नमूने के कुछ बिलों द्वारा समर्थित विक्रय को कर मुक्त मानते हुए शेष बिक्री को कर योग्य मानते हुए कर, सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने ठोस आधार नहीं मानते हुए अपार्ट किया है।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 15.3.2007 से अवलोकन से स्पष्ट है कि जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि “जिनेन्द जैन ए आर सिंघवी के सहायक ने अपेक्षित विक्रय बिल कुल 8 पेश किए। खरीद बिल पेश किया,” जिससे उजागर होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना जांच किये ही अपील संख्या 1087 / 2008 में कर, सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित किया है, जिसे जांच के पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा अपार्ट किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार अपील संख्या 291 / 08 के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत विवेचना एवं जांच के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, सरचार्ज व ब्याज को अविधिक मानते हुए अपार्ट किया है। बहस के दौरान राजस्व की ओर ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का औचित्य नजर आता हो। फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों पर समग्र रूप से दृष्टिपात करने पर अपीलाधीन आदेश में कोई अविधिकता नजर नहीं आती है इसलिए उसकी पुष्टि करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य